

महत्वपूर्ण / समयान्तर्गत

पत्र सं०:अपर आयुक्त (पुलिस)//वार्षिक प्रविष्टि // 2025-26 //

30 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ
(पुलिस-कैम्प)

दिनांक :: लखनऊ :: 17 अप्रैल 2025

समस्त

अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

कृपया शासनादेश संख्या-5/2025/05/सैतालीस-का-5-2025 कार्मिक अनुभाग -5 लखनऊ दिनांक 17-01-2025 एवं शासनादेश संख्या-14/2025/05(1)/सैतालीस-का-5-2025-(1788429) कार्मिक अनुभाग - 5 लखनऊ दिनांक 11-04-2025(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त राज्य कर्मचारियों(समूह-क, ख, ग एवं घ) की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑन लाइन दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में है ।

उपरोक्त दिनांकित शासनादेश 11-04-2025 में उल्लिखित है कि वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह-क, ख, ग एवं घ) की वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन ऑख्या का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑन लाइन किये जाने के निर्देश निर्गत करते हुए स्वमूल्यांकन ऑख्या तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य पोर्टल पर अंकित किये जाने हेतु समय सारिणी भी निर्धारित की गयी है । उल्लेखनीय है कि वार्षिक प्रविष्टि / वर्क-फ्लो जनरेशन की तिथि 30-04-2025 निर्धारित करते हुए वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

समसन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने जोन में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन ऑख्या शासन द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 30-04-2025 से पूर्व प्रत्येक दशा में मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु समस्त पुलिस कर्मियों का वर्क-फ्लो(work flow) मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से तत्काल जनरेट कराते हुए पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर दें कि वह जोन कार्यालय द्वारा जनरेट वर्क-फ्लो में स्वमूल्यांकन ऑख्या निर्धारित तिथि से पूर्व मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से अपलोड कर दें । तदनुसार कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
संलग्नक-यथोपरि ।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई०पी०एस०

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या: व दिनांक: उक्त ।

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

11/04/25

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

अति महत्वपूर्ण

संख्या-5/2025/05/सैतालीस-का-5-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, 30प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5

लखनऊ: 17-01-2025

विषय:- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ') वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-2024 से अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा है, तथा राज्याधीन सेवाओं के समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों में संबंधित कार्मिक द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित किये जाने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध संबंधित कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने एवं उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने के संबंध में निर्धारित तिथि / समयावधि संबंधी व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा में कार्यरत समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के समस्त अधिकारियों की वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि (ACR) मानव सम्पदा पोर्टल यू०आर०एल०

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ehrms.upsdc.gov.in पर आनलाइन दाखिल किये जाने के संबंध में पत्र संख्या-63/सैतालीस-का-5-2024-(1788429), दिनांक 24.02.2024 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन लिखे जाने हेतु निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1) आलोच्य वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रविष्टियाँ Online लिखे जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रस्तावित Time line निम्नवत् निर्धारित की जाए:-

(I) Work flow दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक अनिवार्य रूप से जेनरेट कर दिया जाए।

(II) समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या दिनांक 31 मई, 2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाएगी। समूह 'घ' के कार्मिकों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत नहीं की जाएगी, अपितु उनके नियंत्रक अधिकारी द्वारा समयान्तर्गत उनकी वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर दी जाएगी।

(III) प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी क्रमशः 31 जुलाई, 30 सितम्बर तथा 31 दिसंबर तक अपना-अपना मन्तव्य अंकित करेंगे।

(IV) वार्षिक प्रविष्टियों का Disclosure दिनांक 31 दिसम्बर तक रहेगा।

(2) संबंधित अधिकारियों के Signature हेतु e-sign / Digital Signature तथा Mobile से OTP आधारित व्यवस्था अपनाई जायेगी।

(3) वर्ष 2023-24 में वार्षिक प्रविष्टियों को Auto Forward किए जाने की व्यवस्था नहीं की गयी थी, परन्तु आलोच्य वर्ष 2024-25 से प्रविष्टियों के अंकन में Auto Forward की व्यवस्था स्वतः लागू हो जाएगी अर्थात् निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत क्रमशः स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता का मन्तव्य अंकित न करने पर प्रश्नगत प्रक्रिया अगले स्तर हेतु स्वतः अग्रेंडित (Auto Forward) हो जाएगी और संबंधित अधिकारी को अपनी प्रक्रिया पूर्ण करने / मन्तव्य अंकित करने का अवसर स्वतः समाप्त हो जाएगा, तथा स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था कालबाधित (Closed) हो जाएगी।

(4) पी०सी०एस० अधिकारियों के लिये प्रविष्टि की व्यवस्था पूर्व की भांति Sparrow के माध्यम से रहेगी।

(5) समूह 'ग' एवं 'घ' की वार्षिक प्रविष्टियाँ के स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित स्तर के अनुसार पोर्टल पर एन०आई०सी० द्वारा तदनुसार व्यवस्था की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- वर्ष 2024-25 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन हेतु उक्त निर्धारित समय सारिणी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तथा ऑफलाइन / अन्य किसी माध्यम से प्रविष्टि ग्राह्य नहीं होगी। उक्त के संबंध में यह अपेक्षा की जाती है कि पोर्टल के माध्यम से वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु उपरोक्त निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गोपनीय प्रविष्टि विषयक आदेशों के शेष प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा० मंत्रिगण को, मा० मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उOप्रO शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उOप्रO।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उOप्रO।
4. समस्त जिलाधिकारी, उOप्रO।

कार्मिक अनुभाग-5

लखनऊ : 11-04-2025

विषय:- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5/2025/05/सैतालीस-का-5-2024 दिनांक 17.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही किये जाने के निर्देश निर्गत करते हुए स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य पोर्टल पर अंकित किये जाने हेतु समय सारिणी भी निर्धारित की गयी है। उल्लेखनीय है कि वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या के लिये वर्क-फ्लो जनरेशन की तिथि 30 अप्रैल, 2025 निर्धारित है।

2- अतएव आपसे अनुरोध है कि उक्त शासनादेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा वार्षिक प्रविष्टियाँ ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)

विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा० मंत्रिगण को, मा० मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।